

Green Ag Uttarakhand

Free Prior Informed Consent (FPIC)

Introduction:

FPIC serves as a safeguard to ensure that potential impacts on indigenous peoples in the decision making process of the Green Agriculture Project. Free, prior and informed consent (FPIC) is a right held by Indigenous Peoples. It enables them to say a “yes” or “no” to a proposed project or intervention that affect their land, territories, natural resources and livelihoods.

Identifying the Indigenous Peoples’ concerns and their representatives.

To identify the Indigenous Peoples’ concerns and their representatives the Census 2011 has been referred. Census 2011 data showed that in the High Priority Area under Green Ag project only three villages of Yamkeshwar block, namely Ramjiwala, Mangaliya Gaon, and Bunga had the indigenous communities (scheduled tribe population) as given under;

According to Census 2011, total Indigenous (ST) population in High Priority Area

S No	Development Block	Village	Number of HHs in the Village	Total ST population	ST Male	ST Female
1	Yamkeshwar	Ramjiwala	47	9	4	5
2	Yamkeshwar	Manglia gaon	43	18	8	10
3	Yamkeshwar	Bunga	69	56	26	30

Field Verification

To verify and document the present situation of existence / non-existence of the Indigenous People in high priority area under the project, a survey and verification exercise has conducted through GLIU staff in three mentioned villages i.e. Ramjiwala, Manglia gaon & Bunga

Process of verification–Conducted survey and verification exercise by CRPs.

Tools of survey during field visits: Two common meetings in each village and one-to-one interaction.

Group Discussions: For group discussions the targeted respondents were the Senior/elder members of village community:

- A-group: Local residents of the age between 70-80 yrs – number of members- 04
- B-group: Local residents of the age between 60-70 yrs - number of members- 04-06

Delivered answers/consent received from the groups:

- From A-group: Presently no any household of Scheduled tribe is there in the villages.
- From B- group: Presently no any household of Scheduled tribe is there in the villages.

Certification from Gram Pradhans (Village Heads)

On the basis of answers delivered /consent were received from all groups, the Gram Pradhans certified that no any household of schedules tribe is living there in the respective villages since a long time, thus no any ST family is residing there at present in the village.

Conclusion: On the basis of survey & verification exercise, village meetings and group discussions concluded in the villages namely Ramjiwala, Manglia Gaon and Bunga of the high priority area in Yamkeshwar block, it has observed that no any household of Schedule tribe or indigenous communities is there. **In light of the above findings, there is no need of conducting the FPIC process in the current high priority villages of Uttarakhand Landscape.**

Annexures: Meeting proceedings/photographs of interaction/meetings are annexed.

Annex 1- Meeting proceeding & Certificate of Gram Pradhan- village Ramjiwala,

Annex 2 - Meeting proceeding & Certificate of Gram Pradhan- village Manglia gaon

Annex 3 - Meeting proceeding & Certificate of Gram Pradhan- village Bunga

आज दिनांक 29/6/2022 को ग्रिन रूफ़ी (फॉर्म-06) परियोजना कोर्ट हाउस अमकेश्वर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम रामजीवाला के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में जानकारी ली,

गांव में रहने वाले बुजुर्गों श्री पद्मावत कडवाल, कैलाश चन्द्र भट्ट, लक्ष्मण चन्द्र, श्रीमती कमला देवी, लक्ष्मी देवी, विजोरा देवी, अच्युती देवी जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष, 72 वर्ष, 65 वर्ष है, वातन्वीत की गरीब बुजुर्गों का कहना है कि रामजीवाला गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार नहीं मही रहते थे, हमारे पूर्वजों द्वारा भी गांव में अनुसूचित जनजातियों के बारे में नहीं बताया गया, उनका कहना है कि इस गांव में सामान्य जाति और अनुसूचित जाति और 08C जाति के ही लोग निवास करते हैं, इसी क्रम में गांव में रहने श्रीमती अच्युती देवी से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में वातन्वीत की गरीब, उनका कहना था कि श्री उम्र 70 वर्ष के लगभग है मैंने इस गांव में लिफ्ट सामान्य जाति, अनुसूचित जाति व ओ.बी.सी जाति के ही परिवार देखे हैं, तथा आप भी इस गांव में यही जातियां निवास करती हैं, इसी गांव के बुजुर्ग पद्मावत कडवाल जिनकी उम्र 70 वर्ष है, जब इनके अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में चर्चा की गयी, तो इनके अनुसार इस सामान्य जाति और अनुसूचित जाति व 08C जाति के परिवार ही रहते थे,

कार्यकर्ताओं द्वारा गांव के अन्य ग्रामीणों से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में चर्चा की गयी, ग्रामीणों का कहना था कि इस गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या कभी भी नहीं, यहां पर सामान्य जाति, अनुसूचित जाति व 08C जाति के ही परिवार रहते हैं;

इसी क्रम में प्रधान जी श्रीमती अंजु देवी भी ले श्री परियोजना की से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में जानकारी लेते हुए प्राप्त किया गया कि ग्राम पंचायत रामजीवाला में अनुसूचित जनजाति के परिवार वर्तमान में निवासरत नहीं हैं,

हो - ~~किश्वर~~
 नाम - नवीन किश्वर
 पदनाम - CRP
 दिनांक - 29/6/22

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रामजीवाला में वर्तमान में केवल सामान्य, अनुसूचित जाति एवं 08C परिवार ही निवासरत हैं। यहां पर कोई भी परिवार अनुसूचित जनजाति का परिवार नहीं है,

अंजु देवी
 ग्राम प्रधान

कैलाशचन्द्र - कैलाशचन्द्र
 लक्ष्मी देवी - लक्ष्मी देवी
 विजोरा देवी
 अच्युती देवी
 कमला देवी
 शमेश चन्द्र भट्ट
 पद्मावत कडवाल - पद्मावत

विजोरा देवी
 29/6/22

ग्राम पंचायत
 रामजीवाला
 29/6/22

आज दिनांक 29-06-22 को ग्रीन सजी (जैफ-06) कोटद्वार यमकेश्वर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम मंगल्या गांव के ग्रामीणों व जनजाति/जातियों से सम्पर्क कर अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में जानकारी ली, गांव में रहने वाले बुजुर्ग श्री कुंवर सिंह, श्री बट्टी सिंह, श्री धगत सिंह, श्री हरपाल सिंह जिनकी आयु क्रमशः 81 वर्ष, 82 वर्ष, 85 वर्ष, 60 वर्ष वर्ष हैं बातचीत की गयी बुजुर्ग ग्रामीणों का कहना है कि मंगल्या गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार बंधी नहीं रहते थे, हमारे पूर्वजों द्वारा भी अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में नहीं बताया गया उनका कहना है कि इस गांव में सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के लोग ही निवास करते हैं, इसी क्रम में गांव में रहने वाले श्री से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में बातचीत की गयी, उनका कहना था कि -

मेरी उम्र 75 वर्ष है, मैंने इस गांव में सिर्फ सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवार ही देखे हैं तथा आज भी यही 02 जातियों के परिवार यहां रहते हैं, गांव की बुजुर्ग महिला श्री मती शर्मा देवी जिनकी उम्र 76 वर्ष है, इनके अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में पता की गयी, इस महिला के बंधनानुसार -

मेरी शादी 14 वर्ष में हो गयी थी, इस गांव में सामान्य और अनुसूचित जाति के परिवार ही रहते थे तब भी और आज भी, मैंने पता चला कि यही 02 जातियों के बारे में बताया गया तथा गांव में यही 02 जातियों के परिवारों की खेती व जमीन जागदाद है।


कार्यकर्ताओं द्वारा गांव के अन्य ग्रामीणों से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में पूछा की गयी, ग्रामीणों का कहना था कि इस गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार बंधी नहीं रहते थे, यहां पर सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवार ही रहते हैं।

अन्य में प्रधान श्री अशोक कुण्डवाल द्वारा बताया गया कि मेरी जानकारी के अनुसार मंगल्या गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार बंधी नहीं रहते थे, इस गांव में सामान्य जाति/अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं और वर्तमान ग्रामीणों के धरनाक्षर -

1- श्री कुंवर सिंह कुंवर सिंह 3- श्री बट्टी सिंह बट्टी सिंह
 2- श्री मती शर्मा देवी 4- श्री धगत सिंह धगत सिंह
 नाम - गुलशन सिंह 5- श्री हरपाल सिंह हरपाल सिंह
 पता - C.R.P.

प्रमाणपत्र

उपरोक्त किया जा रहा है कि ग्राम व. बिनठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम - मंगल्यागाँव में 2011 के जनगणना के अनुसार एवं वर्तमान समय में कोई भी अनुसूचित जनजाति (ST) निवासरत नहीं है,



आज दिनांक 29-06-22 को ग्राम सजी (जैफ-06) कोटद्वार समुकेश्वर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम बूंगा गांव के ग्रामीणों व जनजातिनिधियों से सम्पर्क कर अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में जानकारी ली। गांव में रहने वाले बुजुर्ग श्री आनन्द प्रसाद, श्री मती सुशीला देवी, श्री मती शकुन्तला देवी, जिनकी आयु क्रमशः 79 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष वर्ष है। बातचीत की गयी, बुजुर्ग ग्रामीणों का कहना है कि बूंगा गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी नहीं रहते थे, हमारे पूर्वजों द्वारा भी अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में नहीं बताया गया उनका कहना है कि इस गांव में सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के लोग ही निवास करते हैं, इसी क्रम में गांव में रहने वाले श्री मती सत्य देवी से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में बातचीत की गयी। उनका कहना था कि - मेरी उम्र 90 वर्ष है मैंने इस गांव में सिर्फ सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवार ही देखे हैं तथा आज भी यही 09 जातियों के परिवार यहाँ रहते हैं। गांव की बुजुर्ग महिला श्रीमती सरोज देवी जिनकी उम्र 70 वर्ष है, इनसे अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में चर्चा की गयी, इस महिला के कथनानुसार - मेरी शादी 14 वर्ष में हो गयी थी, इस गांव में सामान्य और अनुसूचित जाति के परिवार ही रहते थे तब भी और आज भी, मेरे पति द्वारा भी इसी 09 जातियों के बारे में बताया गया तथा गांव में यही 02 जातियों के परिवारों की खेती व जमीन जागदाद है। कार्यकर्ताओं द्वारा गांव के अन्य ग्रामीणों से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में चर्चा की गयी, ग्रामीणों का कहना था कि इस गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी नहीं रहते थे, यहां पर सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवार ही रहते हैं।

अब अन्त में प्रधान श्रीमती अनीता देवी द्वारा बताया गया कि मेरी जानकारी के अनुसार बूंगा गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी नहीं रहते थे, इस गांव में सामान्य जाति/अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं और वर्तमान में भी यही दो जातियों के परिवार बूंगा ग्राम में निवास करते हैं। ग्रामीणों के हस्ताक्षर -

- 1- श्रीमती सरोज देवी
- 2- श्री आनन्द प्रसाद
- 3- श्रीमती सुशीला देवी
- 4- श्री मती शकुन्तला देवी

5- श्रीमती सत्य देवी

[नाम - कुलदीप गुप्ता
पदनाम - C.R.P.]

उभोहित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बूंगा के एनएल सन 2011 की जनगणना के अनुसार तथा वर्तमान में कोई भी अनुसूचित जनजाति (ST) परिवार नहीं रहता है।

